न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0–13, आगरा

उपस्थित न्यायाधीशः महेश चन्द्र वर्मा, एच.जे.एस.

J.O. Code UP 6359

दाण्डिक अपील संख्या–73/2026

मलिखान सिंह बनाम उ0प्र0राज्य आदि

21.07.2026

पुकारा गया।

अपीलार्थी मलिखान सिंह उपस्थित।

प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री हरि बाबू बघेल उपस्थित।

प्रत्यर्थी सं0–2 की तरफ से रमेश चन्द मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम पाल सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनॉक–06.07.2026 के अनुपालन में जुर्माना धनराशि का 20% अब तक जमा नहीं किया गया।

बल्कि, इस आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र–11ख प्रस्तुत किया गया है कि **''अपीलार्थी के अधिवक्ता की पत्नी की मृत्यु दिनॉक–17.07.2026 को हो जाने के कारण, उनके द्वारा उक्त अपील में माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालन नहीं किया जा सका है। जिसमें 20% धनराशि जमा का आदेश किया गया था। तथा अपीलार्थी को कुछ समय या 7 दिन का समय दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।''**

उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घोर आपत्ति व्यक्त करते हुये, न्यायालय के आदेश का बार–बार अवहेलना करने के कारण, अभियुक्त/अपीलार्थी की जमानत निरस्त करने की याचना किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी मलिखान सिंह के दौरान अपील जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र व अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आदेश के साथ स्वीकार किया गया था कि–

''अभियुक्त द्वारा धारा प्रवृत्त धारा–148, पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अनुपालन में अधिरोपित सकल अर्थदण्ड (रूपये–2,40,000/–) की धनराशि का 20% एक माह के अन्दर संबंधित न्यायालय में जमा किये जाने के अधीन अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है, शेष अर्थदण्ड की वसूली अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी, इस मध्य अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से, यदि कोई अर्थदण्ड धनराशि जमा की गयी है तो उसे समायोजित किया जाएगा। नियत समयावधि में व्यतिक्रम कारित किये जाने की दशा में उक्त दण्डादेश यथावत रहेगा। प्रार्थना–पत्र तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।''

किन्तु, उक्त आदेश दिनॉक–19.03.2026 से एक माह पश्चात्, दिनॉक–20.07.2026 को बीत जाने के पश्चात् भी, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिसके पश्चात् दिनॉक–21.05.2026, 03.06.2026, 16.06.0226, 06.07.2026 तथा आज दिनॉक–21.07.2026 को अपीलार्थी/अभियुक्त ने न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त धनराशि जमा नहीं किया। जबकि, माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनॉक–06.07.2026 को आदेशित किया गया था कि–

''अपीलार्थी की ओर से 10बी प्रा0पत्र 20% (रूपया) धनराशि अर्थदण्ड जमा करने हेतु समय दिये जाने हेतु प्रस्तुत। प्रत्यर्थी हाजिर है। 20% जुर्माना धनराशि जमा करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि 15 दिन में निर्धारित 20% अर्थदण्ड जमा न किया गया तो नियत दिनॉक को उसकी जमानत आदेश निरस्त कर गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिये जायेगें। पत्रावली सुनवाई/20% जमा धनराशि हेतु दिनांक 21/07/2026 को पेश हो।''

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अर्थदण्ड की धनराशि का 20% राशि अभियुक्त/अपीलार्थी को जमा करना है न कि उसके विद्वान अधिवक्ता को। उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र–11ख व पूर्व स्थगन प्रार्थना–पत्र–10ब से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के बार–बार आदेश के बावजूद, जानबूझकर अभियुक्त को उक्त धनराशि जमा नहीं करने दे रहे हैं। बल्कि, न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये, उक्त आदेशों के अनुपालन में उक्त धनराशि जमा न करने के कारण प्रस्तुत अपील की सुनवाई लगातार बाधित हो रही है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में तथा अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा

न्यायालय के आदेश का लगातार व्यतिक्रम व अवहेलना करने के कारण, उक्त आदेश दिनॉक–19.03.2026 तथा दिनॉक–06.07.2026 के आलोक में, प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र–11ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र–11ख निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा माननीय सत्र न्यायालय, आगरा के उक्त आदेशों दिनॉक–19.03.2026 व 06.07.2026 का अनुपालन न किये जाने के कारण, उक्त आदेश दिनॉक–06.07.2026 के अनुपालन में अभियुक्त/अपीलार्थी मलिखान सिंह का जमानत निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिनॉक–19.03.2026 के अनुसार परिवाद सं0–3362/2018, रमेश चन्द बनाम मलिखान सिंह अन्तर्गत धारा–138, पराक्रम्य लिखत अधिनियम, थाना–न्यू आगरा, जिला–आगरा में पारित आलोच्य निर्णय व दण्डादेश दिनॉकित–18.02.2026 यथावत रहेगा।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी हो।

प्रस्तुत दाण्डिक अपील की सुनवाई हेतु पत्रावली दिनॉक–13.08.2026 को पेश हो।

आदेश की एक सत्य–प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अनुपालन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित हो।

(महेश चन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–13, आगरा